कार्यालय संचालक
म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी)
वाया तट कलियासोत बाँध, पो.बॉ. नं. 538,
रविशंकर नगर पो.ऑ., कोलार रोड, भोपाल–462016
E-mail: mpwalmi@gmail.com, Ph. No-0755-4082505

संक्षिप्त निविदा सूचना क.–1/2021–22

क. वाल्मी/डब्ल्यू–10/एन.आई.टी./2022–23/2083 भोपाल दिनांक: 03/10/2022

निम्नांकित कार्यो हेतु मोहरबंद निविदायें फार्म "ए"(प्रतिशत दर) पर लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन कार्य दिनांक 01.08.2017 एवं निविदा विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक तक संशोधित Schedule of Rates आधार पर संस्थान के कार्यालय में दिनांक 10.10.2022 को दोपहर 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदायें उसी दिन दोपहर 03.30 बजे खाली जायेगी। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 07.10.2022 तक संस्थान से कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।

स. क.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	आमंत्रण क.
1	Providing and fixing G.I. chain link fencing at walmi premises fencing work	169186.00	4000.00	1000.00	15 days	First

निविदा की सामान्य शर्तें :–

1. (*) म.प्र.शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक एफ–17–1/बी–19/2010/644 भोपाल दिनांक 17.08.2016 में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार पंजीयन।
2. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मंगवाने पर रू. 50/– अतिरिक्त डाक का वास्तविक व्यय देना होगा। डाक से प्राप्त निविदाओं में विलंब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
3. पूर्ण निविदा प्रस्ताव दिनांक 07.10.2022 को अपरान्ह 03.00 बजे तक संचालक, वाल्मी भोपाल के कार्यालय में प्राप्त किये जावेंगे तथा सर्वप्रथम अमानत राशि का प्रस्ताव खोला जायेगा।
4. ठेकेदार द्वारा पंजीयन की मूल प्रति, फर्म/कंपनी के निर्माण तथा पार्टनरशिप डीड, मुख्तियारनामा/पावर ऑफ अटानी (यदि आवश्यक हो तो), निविदाकार का पैन नम्बर, टिन नम्बर की वैद्यता संबंधी दस्तावेज तथा फर्म में कार्यरत अभियंता आदि की जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. निविदाकार को किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड नहीं होने संबंधित प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता हेतु 100 रू. के स्टॉम्प पर नोटरी के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जो निविदा सूचना जारी दिनांक के पश्चात का होना चाहिए। शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न करनी होगी।
6. शासन द्वारा निर्धारित समस्त प्रकार के करों का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।

7. निविदा कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर अथवा किन्हीं भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
8. अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी अंतिम भुगतान किया जायेगा।
9. ठेकेदार प्रदत्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत करे । पूर्व निविदाओं की राशि समायोजित नहीं की जायेगी। अमानत राशि अलग से मोहर बंद लिफाफे में देनी होगी यह राशि राष्ट्रीकृत बैंक से जमा फिक्स डिपोजिट जो संचालक वाल्मी भोपाल के पक्ष में देय हो तथा कार्य अवधि के लिए जमा हो, मान्य की जायेगी।
10. कार्य में प्रयुक्त सामग्री का उपयोग निविदा प्रपत्र में संलग्न मेंडेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जाये।
11. निर्माण कार्य के स्पेशीफिकेशन में फेरबदल करने का अधिकार विभाग को होगा।
12. निविदा से संबंधित किसी भी वाद पर संचालक, वाल्मी भोपाल का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
13. निर्माण कार्यों हेतु परफोरमेंस गारन्टी के लिये अनुबंधित राशि की 5 प्रतिशत राशि अनुबंध के पूर्व बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर. के रूप में संचालक, वाल्मी भोपाल के नाम प्रस्तुत करनी होगी। कार्य पूर्णता उपरांत 02 वर्ष तक डिफेक्ट लायबिलिटी का दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि इस अवधि में निमार्ण कार्य में किसी प्रकार दोष उत्पन्न होता है, तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से सुधार कार्य कराया जावेगा। लिखित में सूचना करने के 15 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा कार्य न कराये जाने पर कार्य प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार की रिस्क एवं कॉस्ट पर अन्य ऐजेन्सी/विभाग द्वारा सुधार कार्य कराया जावेगा एवं सुधार कार्य पर किये गये व्यय की राशि (जिस बाबत् प्रभारी अभियंता का प्रमाण पत्र अंतिम होगा) उपरोक्तानुसार ठेकेदार की जमा राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। यदि सुधार कार्य के व्यय की राशि ठेकेदार की जमा से अधिक रहती है, तो अंतर की राशि उससे बकाया भू-राजस्व/नगद प्रतिभूति के रूप में वसूल की जावेगी। जमा परफार्मेन्स गारन्टी राशि कार्य पूरा होने की दिनांक से दो वर्ष पश्चात वापिस की जावेगी।
14. सुरक्षा जमा राशि के रूप में 05 प्रतिशत राशि नियमानुसार काटी जावेगी। जमा सुरक्षा राशि कार्य पूर्ण होने की दिनांक से दो वर्ष पश्चात वापिस की जावेगी।
15. सशर्त कटी-फटी अथवा ओव्हर राइटिंग लिखाई की निविदा मान्य नहीं की जावेगी। ठेकेदार कार्य स्थल का निरीक्षण निविदा प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से पूर्व कर लेवें।
16. श्रम संविदा एक्ट के अंतर्गत जीवित लेबर लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
17. कार्य करने के दौरान किसी भी दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।
18. निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) आर.सी.सी. डिजाइन का अनुमोदन कार्य संपादन के पूर्व ठेकेदार द्वारा सक्षम अधिकारी से कराया जाना होगा।
19. यदि किसी निविदाकार द्वारा एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत से कम दर प्रस्तुत की जाती है एवं स्वीकृत होती है तो निविदा दर एवं एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत कम दर के अंतर की राशि अतिरिक्त परफॉरमेंस गारन्टी के रूप में एफ.डी.आर. प्रस्तुत करने पर ही अनुबंध कराया जायेगा, जो कि कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात वापस की जावेगी।
20. कार्यादेश जारी करने के बाद यदि अनुबंध के अनुसार प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई तो दिये गये समय के पूर्व ही कार्य समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी।

21. स्थल पर फर्म के द्वारा पूरे समय अपना एक ग्रेजुएट इंजिनियर रखा जाना आवश्यक होगा।

22 कार्य प्रारंभ होने के पूर्व निर्माणाधीन स्थिति में एवं कार्य समापन के उपरांत विभिन्न स्तर पर फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा।

23. विस्तृत निविदा सूचना के कंडिका 8.12(11)(एफ) में उल्लेखित के स्थान पर ग्रेजुऐट इंजिनियर हेतु रू. 16000.00 एवं डिप्लोमा इंजीनियर हेतु रू. 9000.00 प्रतिमाह के हिसाब से कटौत्रा किया जावेगा।

24. अनुबंध की कंडिका 11(सी) एक्सलेशन विलोपित रहेगी।

25. अनुबंध का क्लॉज 29(आर्बीटेशन) संशोधन अनुसार होगा।

26. जी.एस.टी. का भुगतान अतिरिक्त किया जावेगा।

प्रशासकीय अधिकारी
वाल्मी, भोपाल

पृ.क. वाल्मी/डब्ल्यू–10/एन.आई.टी./2022–23/ भोपाल दिनांक: /09/2022

प्रतिलिपि:–

1. नोटिस बोर्ड वाल्मी, भोपाल।
2. लेखाशाखा वाल्मी, भोपाल।
3. प्रभारी संगणक केन्द्र–वेब साइड पर अपलोड करने हेतु ।

हस्ता०–

प्रशासकीय अधिकारी
वाल्मी, भोपाल